


11/3/25

अभ्यर्थक के अभिभावक (उप०) अभिभावक अपीलान्त
ने एक शर्तना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम-1 CPC
दिनांक 07/3/25 को पेश किया जिसमें उसने कथन
किया कि उपरोक्त अन्यायी अपील में अपीलान्त का
रिस्पोंडेंटस से राजीनामा हो गया है। अपीलान्त उक्त
अपील को वापस लेना चाहता है तथा भविष्य में उक्त
नामान्तकरण के विरुद्ध अपीलान्त किसी प्रकार का बखेम
नहीं करेगा। अतः अपीलान्त का उक्त प्रा.पत्र आदेश-23
नियम-1 CPC स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त
इसी स्टेज पर वापस किये जाने के आदेश दिये जाते
हैं तथा पणवली इसी स्टेज पर रखाई की जाती है। पणवली
को खल्ल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर सखिल
इफ्तार हो। आदेश सुनाया गया।


श्रीनिधि बी टी
जिला कलक्टर, धौलपुर